

11/11/2025

2025/385

# फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
हंसराज बनाम अजीतसिंह आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 82 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.06.2025	<p>प्रार्थी हंसराज की तरफ से वकील श्री अनिल सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के ख.नं. 1364/921 की 0.0228 है., 1365/921 की 0.0061 है., 1366/921 की 0.0945 है., 1367/921 की 0.0086 है., 1368/921 की 0.0030 है., 1372/557 की 0.0527 है., 1373/557 की 0.0183 है., 205/1 की 0.8689 है., 209 की 0.316 है. कुल 1.3909 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 03.07.2025 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

07.07.2025

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के ख.नं. 1364/921 की 0.0228 है., 1365/921 की 0.0061 है., 1366/921 की 0.0945 है., 1367/921 की 0.0086 है., 1368/921 की 0.0030 है., 1372/557 की 0.0527 है., 1373/557 की 0.0183 है., 205/1 की 0.8689 है., 209 की 0.316 है. कुल 1.3909 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 03.07.2025 को पेश हो।

20.07.2025

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के ख.नं. 1364/921 की 0.0228 है., 1365/921 की 0.0061 है., 1366/921 की 0.0945 है., 1367/921 की 0.0086 है., 1368/921 की 0.0030 है., 1372/557 की 0.0527 है., 1373/557 की 0.0183 है., 205/1 की 0.8689 है., 209 की 0.316 है. कुल 1.3909 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 03.07.2025 को पेश हो।

16.09.2025

अजीतसिंह ने प्रार्थना-पत्र निवाह पेशी पेश करके पत्रावली को पेशी में जिया गया। वकील प्रार्थी ने लिखित रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र में दाखिल करा करके डे आग आगेपरी चलाना चाहे है। मौजूदा खिरात में बाकी बरकाना चाहे है। प्रार्थना-पत्र मौजूदा खिरात में जारी किया जाता है। पत्रावली न्यायालय के अफ की बाहर नए तारीख तक न्यायालय में दाखिल नकरा हो।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर